दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 13 दिसंबर, 2023

निर्णय की तिथि: 21 फरवरी, 2024

सिविल वाद (वाणि.) 692/2021, अंतर.आ.11485/2022,21356/2022 व 4065/2023

इंटर-डिजिटल टेक्नोलॉजी कारपोरेशन व अन्य .....वादीगण

द्वारा: श्री प्रवीण आनंद, सुश्री वैशाली मित्तल, श्री सिद्धांत चमोला, सुश्री पल्लवी भटनागर, सुश्री गीतांजलि शर्मा, अधिवक्तागण।(मो. 9871736336)

बनाम

ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्यूनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड व अन्य। .....प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री साइकृष्ण राजगोपाल, सुश्री जूलियन जॉर्ज, सुश्री अनु पारचा, श्री अनिरुद्ध भाटिया, श्री अर्जुन गढ़ोके, सुश्री एन. पार्वती, श्री अविजीत कुमार, श्री विवेक अय्यगिरी, अधिवक्तागण। (मो. 9953781225)

तथा

सि.वा.(वाणि.) 707/2021, अंतर.आ. 11484/2022 व 4066/2023

इंटरडिजिटल वीसी होल्डिंग्स आईएनसी व अन्य .....वादीगण

द्वारा: श्री प्रवीण आनंद, सुश्री वैशाली मित्तल, श्री सिद्धांत चमोला, सुश्री पल्लवी भटनागर, सुश्री गीतांजलि शर्मा, अधिवक्तागण। (मो. 9871736336)

बनाम

ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल
टेलीकम्यूनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड व अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री साइकृष्ण राजगोपाल, सुश्री जूलियन जॉर्ज, सुश्री अनु पारचा, श्री अनिरुद्ध भाटिया, श्री अर्जुन गढ़ोके, सुश्री एन. पार्वती, श्री अविजीत कुमार, श्री विवेक अय्यगिरी, अधिवक्तागण।(मो. 9953781225)

कोरम:
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

निर्णय

न्या. प्रतिभा एम. सिंह,

1. यह सुनवाई हाइब्रिड माध्यम द्वारा आयोजित की गई है।

सि.वा.(वाणि.)-692/2021 में अंतर.आ. 21356/2022 (निर्देशों को वापस मांगने हेतु), 4065/2023 (निर्देशों के लिए)

<u>सि.वा.(वाणि.)-707/2021 में अंतर.आ. 4066/2023 (निर्देशों के लिए)</u>

2. एचएसबीसी इंडिया द्वारा दिनांक 9 नवंबर, 2022 के आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में निहित निर्देशों को वापस लेने की मांग करते हुए ***अंतर.आ. 21356/2022*** दायर किया गया है। उस तिथि को, इस न्यायालय ने टिपण्णी की कि एचएसबीसी इंडिया एचएसबीसी पेरिस द्वारा जारी प्रमाणपत्रों और बैंक गारंटियों की पुष्टि हेतु एक अधिकारी को भेजने के लिए तैयार नहीं था, जैसा कि दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के आदेश में निर्देशित किया गया था। न्यायालय ने निर्देशित किया कि चूंकि प्रतिवादीगण ने इन प्रमाणपत्रों पर निर्भरता रखी है, इसलिए भारत में एचएसबीसी की संबंधित शाखा के अधिकारियों को बैंक गारंटी जारी करने की पुष्टि करने के लिए इस न्यायालय के योग्य महानिबंधक के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण-ओप्पो एट.अल. द्वारा भारतीय बैंक से बैंक गारंटी जमा करने के निर्देश मांगते हुए ***अंतर.आ. 4065/2023 और 4066/2023*** दायर किए गए हैं। यह प्रकथन किया गया है कि शुरू में, इस न्यायालय ने एचएसबीसी इंडिया को एचएसबीसी पेरिस द्वारा जारी बैंक गारंटी की पुष्टि करने का निर्देश दिया था। यद्यपि, एचएसबीसी पेरिस उपस्थित होने में विफल रहा, जिसके कारण प्रतिवादीगण ने एचएसबीसी इंडिया को नोटिस जारी करने के निर्देश

देने के लिए एक और आवेदन दायर किया। प्रतिवादीगण के अनुसार, वे दिनांक 9 नवंबर, 2022 के शुरुआती आदेश के समय एचएसबीसी पेरिस के योग्य महानिबंधक के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता के विषय में अनभिज्ञ थे। वर्तमान आवेदनों के माध्यम से, वे भारतीय बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें वे अपनी भारतीय बिक्री के प्रतिशत के आधार पर पांच किस्तों में ऐसा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे जर्मनी में प्रदान की गई पिछली बैंक गारंटियों में समायोजन का भी सुझाव देते हैं। प्रतिवादीगण ने इंटरडिजिटल द्वारा अभिलिखित प्रतिवादीगण की भारतीय बिक्री के आधार पर [redacted] राशि की एक भारतीय बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

<u>वर्तमान वाद की पृष्ठभूमि</u>

4. ये दो वाद हैं जिनमें वादीगण- इंटरडिजिटल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और उसकी संबद्ध कंपनियों (इसके बाद, *'इंटरडिजिटल'*) द्वारा निम्नलिखित प्रतिवादीगण- ओप्पो एट.अल. के विरुद्ध पेटेंट अधिकारों के प्रवर्तन की मांग की गई है:

सि.वा.(वाणि.) 692/2021	
गुआंग्डोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड ***के रूप में भी जाना जाता है:*** *ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड*	*प्रतिवादी सं. 1*

ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	*प्रतिवादी सं. 2*
वनप्लस टेक्नोलॉजी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड	*प्रतिवादी सं. 3*
वनप्लस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	*प्रतिवादी सं. 4*
रियलमी मोबाइल टेलीकॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	*प्रतिवादी सं. 5*
सि.वा.(वाणि.) 692/2021	
गुआंगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड ***के रूप में भी जाना जाता है:*** *ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड*	*प्रतिवादी सं. 1*
ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	*प्रतिवादी नंबर 2*
वनप्लस टेक्नोलॉजी (शेन्ज़ेन) कंपनी लिमिटेड	*प्रतिवादी नंबर 3*
वनप्लस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	*प्रतिवादी नंबर 4*
रियलमी मोबाइल टेलीकॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	*प्रतिवादी सं. 5*

5. इन दो वादों में जिन पेटेंटों को लागू करने की मांग की गई है, वे इस प्रकार हैं:

क. ***सि.वा.(वाणि.) 692/2021-*** इसमें 5 मानक आवश्यक पेटेंट *(इसके बाद, 'एसईपी')* शामिल हैं जो वायरलेस (तारहित) संचार प्रौद्योगिकी मानकों से संबंधित हैं। वाद पेटेंट इस प्रकार हैं:

क्रमांक	***पेटेंट***	***भारतीय अ.सं.***	***पीसीटी अ.सं.***
1.	आईएन262910	8446/डीईएलएनपी/2007	पीसीटी/यूएस2006/015275

2.	आईएन295912	1233/डीईएलएनपी/2009	पीसीटी/यूएस2007/018440
3.	आईएन313036	6660/डीईएलएनपी/2008	पीसीटी/यूएस2007/002571
4.	आईएन319673	2730/डीईएलएनपी/2009	पीसीटी/यूएस2007/022759
5.	आईएन320182	4977/डीईएलएनपी/2009	पीसीटी/यूएस2008/001344

ख. ***सि.वा.(वाणि.)707/2021***-में 3 एसईपी शामिल हैं जो एच.265 उच्च दक्षता वीडियो कोडिंग (*इसके बाद, एचईवीसी*) मानक से संबंधित हैं। वाद पेटेंट इस प्रकार हैं:

क्रमांक	***पेटेंट***	***भारतीय अ.सं.***	***पीसीटी अ.सं.***
1.	आईएन242248	142/डीईएलएनपी/2005	पीसीटी/यूएस2003/021735
2.	आईएन299448	1137/डीईएलएनपी/2009	पीसीटी/यूएस2003/021735
3.	आईएन308108	2576/डीईएलएनपी/2009	पीसीटी/यूएस2007/022795

6. ***सि.वा. (वाणि.) 692/2021*** में, इंटरडिजिटल का मामला यह है कि यह विश्व भर में 31,000 से अधिक पेटेंट और आवेदनों का स्वामी/धारक है, जो 1,000 से अधिक पेटेंट परिवारों का गठन करता है। भारत में, वाद-पत्र में दावा किया गया है कि इंटरडिजिटल के पास 470 से अधिक स्वीकृत पेटेंट और लंबित पेटेंट आवेदन हैं। ***सि.वा. (वाणि.) 707/2021*** में, वाद-पत्र में प्रकथन किया गया है कि इंटरडिजिटल वीडियो अनुसंधान में एक वैश्विक नेता के रूप में विद्यमान है, जो

वीडियो प्रौद्योगिकी की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और यह अंतरराष्ट्रीय वीडियो मानकों में 1,000 से अधिक योगदान देने का दावा करता है। विश्व भर में लगभग 28,000 पेटेंट और आवेदनों के पोर्टफोलियो के साथ, जिसमें एचईवीसी से संबंधित 1,800 से अधिक शामिल हैं, वाद-पत्र में प्रकथन किया गया है कि इंटरडिजिटल अनुसंधान और विकास हेतु प्रतिबद्ध है।

7. वीडियो अनुसंधान में वैश्विक अग्रणी होने के अलावा, इंटरडिजिटल का दावा है कि यह वायरलेस (तारारहित) प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, और 2जी, 3जी, 4जी (जीएसएम मानक), आईईईई 802 आदि सहित विभिन्न मानकों के संबंध में व्यापक अनुसंधान और विकास करता है। इंटरडिजिटल के अनुसार, यह 3 जी प्रौद्योगिकियों से संबंधित एसईपी का 10% और 4जी प्रौद्योगिकियों के लिए 7% से 10% एसईपी का हिस्सा रखता है। इंटरडिजिटल के अनुसंधान और विकास का दावा 5जी मानकों तक भी किया जाता है। इस प्रकार, यह इंटरडिजिटल का मामला है कि यह विश्व के शीर्ष चार वायरलेस (तारारहित) एसईपी अन्वेषकों में से एक है, और इस प्रकार के नवाचारों के लिए इसे कई वैश्विक पुरस्कार मिले हैं। इंटरडिजिटल का दावा है कि चूंकि यह 3जी, 4जी और 5जी मानकों पर मैप किए गए विभिन्न एसईपी का स्वामी/धारक है, इसलिए इन मानकों को इंटरडिजिटल की पेटेंट तकनीक का उपयोग किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

8. इंटरडिजिटल के एसईपी न केवल सेलुलर प्रौद्योगिकी तक, परंतु वीडियो कोडेक्स जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों तक भी विस्तारित हैं, जो ***सि.वा.(वाणि.) 707/2021*** की विषय-वस्तु हैं।

9. प्रतिवादीगण-ओप्पो एट अल.-ऐसी कंपनियाँ हैं जो ओप्पो, रियलमी और वनप्लस ब्रांड नामों के अंतर्गत दूरसंचार उपकरणों का निर्माण, संयोजन, आयात और विक्रय करती हैं। जैसा कि प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय किए जाने वाले उत्पादों के ब्रांडों से ज्ञात होता है, वे अग्रणी हैंडसेट निर्माताओं में से हैं और भारत में काफी बाजार हिस्सेदारी का आनंद लेते हैं।

10. स तथ्य के कारण कि प्रतिवादीगण वर्ष 2014 से 3जी, 4जी और 5जी मानकों के अनुरूप डिवाइस बेच रहे थे, इंटरडिजिटल ने प्रतिवादीगण से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और उचित स्वामिस्व का भुगतान करने का आह्वान किया। पक्षकारगण के मध्य समझौता-वार्ता अक्टूबर 2014 में शुरू हुई और 2017 में एक गैर-प्रकटीकरण करार पर हस्ताक्षर किए गए। इंटरडिजिटल के अनुसार, 2014 से लेकर मौजूदा वाद दायर होने तक, आठ वर्ष की अवधि में कई दौर की बैठकें हुईं। शुरुआत में, वनप्लस, ओप्पो और रियलमी के साथ अलग-अलग समझौता-वार्ताएँ हुई। ये चर्चाएँ 2014 में ओप्पो के साथ, 2018 में वनप्लस के साथ और मई 2021 में रियलमी के साथ शुरू हुईं। यद्यपि, सितंबर 2021 से, पक्षकारगण के

मध्य संयुक्त समझौता-वार्ता हुई। समय के साथ कई मौद्रिक प्रस्ताव दिए गए, और कई प्रस्तावों और प्रति-प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया गया। फिर भी, 2021 तक, पक्षकारगण के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था, जिसके कारण इंटरडिजिटल ने यूके, जर्मनी और भारत में प्रतिवादीगण के विरुद्ध मुकदमेबाजी शुरू की।

11. इंटरडिजिटल के अनुसार, जर्मनी में, प्रतिवादीगण द्वारा [redacted] के लिए बैंक गारंटी पेश की गई थी, जो अभी भी उनके कब्जे में बताई गई है। यू.के. में, मामला विचार हेतु लंबित है। भारत में, सिविल प्रक्रिया संहिता (*इसके बाद, 'सि.प्र.सं.'*) के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में शुरू में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई थीं। इंटरडिजिटल ने प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय की बड़ी मात्रा को देखते हुए *प्रोटेम* भुगतान पर जोर दिया। अस्थायी भुगतान के उद्देश्य से इंटरडिजिटल द्वारा जोर दिए गए कुछ कारकों में शामिल हैं -

(i) इंटरडिजिटल द्वारा दिए गए प्रस्तावों के उत्तर में, प्रति- प्रस्ताव पूर्ण रूप से अपर्याप्त और निराशाजनक थे।

(ii) 2021 की दूसरी तिमाही तक स्मार्टफोन बाजार में प्रतिवादीगण की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

ओप्पो: 10%

रियलमी: 15%

वनप्लस: 34%

(iii) इसलिए, वास्तव में, दोनों वादों में प्रतिवादीगण के पास भारत में प्रीमियम स्मार्ट फोन बाजार में लगभग 60% की हिस्सेदारी है।

(iv) कि भारत में प्रतिवादीगण की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व आसूचना निदेशालय, कर अधिकारियों आदि द्वारा छापे मारे गए हैं।

(v) प्रतिवादीगण द्वारा 25 मई, 2022 को दायर शपथ-पत्र से पता चलता है कि ओप्पो इंडिया को छोड़कर, अन्य किसी भी संस्था के पास भारत में कोई आस्ति नहीं है। अचल संपत्ति का मूल्य लगभग 1,290 करोड़ रुपये है, जो विल्लंगमरहित है।

(vi) प्रतिवादीगण आभ्यासिक अनिच्छुक अनुज्ञप्तिधारी हैं, जैसा कि इंटरडिजिटल के अलावा नोकिया, डॉल्बी, फिलिप्स और अन्य सहित विभिन्न एसईपी धारकों की ओर से उनके विरुद्ध लंबित मुकदमों की संख्या से स्पष्ट है। यद्यपि, मुकदमेबाजी के बाद समझौते हुए हैं, जैसा कि डॉल्बी, फिलिप्स और नोकिया के मामले में उदाहरण दिया गया है।

(vii) कि प्रतिवादीगण ने नोकिया और फिलिप्स सहित अन्य एसईपी अनुज्ञप्ति स्वामियों से भी अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है।

12. दोनों वादों में, प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय किए गए उपकरणों की संख्या समझौता-वार्ता की अवधि के दौरान निम्नानुसार हैं:

समयसीमा	***प्रकार***	***मॉडल***	***इकाइयाँ***
2014-22	ओप्पो	[redacted]	[redacted]
2017-22	वनप्लस	[redacted]	[redacted]
2018-22	रियलमी	[redacted]	[redacted]

13. इन वर्षों के दौरान भारत में प्रतिवादीगण द्वारा अर्जित कुल राजस्व [redacted] है।

14. इंटरडिजिटल के अनुसार, विक्रय की महत्वपूर्ण मात्रा और देय राशि को देखते हुए, जो प्रतिवादीगण की अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण जोखिम में है, कोई भी राशि वसूल नहीं की जा सकेगी, भले ही विचारण इंटरडिजिटल के पक्ष में सफलतापूर्वक समाप्त हो जाए। प्रतिवादीगण ने निम्नलिखित आधारों पर किसी भी *प्रो टेम* भुगतान के अनुरोध का विरोध किया:

(i) अतिलंघन का *प्रथम दृष्टया* मामला संस्थापित किए बिना, कोई *प्रो टेम* भुगतान नहीं किया जा सकता।

(ii) पक्षकारगण के मध्य एक गोपनीयता क्लब का गठन किया जाना होगा जिससे अनुज्ञप्ति और अन्य समझौतों का आदान-प्रदान किया जा सके और वास्तविक अनुज्ञप्ति दरों का पता लगाया जा सके।

(iii) कि 5 में से 3 पेटेंट विदेशी न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए हैं।[1]

(iv) विश्व में किसी भी न्यायालय द्वारा इंटरडिजिटल के पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

(v) कि यदि कोई *प्रो टेम* जमा राशि है तो उसे केवल दावा किए गए पेटेंट तक ही सीमित रखा जाएगा।

(vi) वैश्विक बिक्री में से प्रतिवादीगण की केवल 23% बिक्री भारत से होती है।

(vii) इंटरडिजिटल को पहले ही जर्मनी में [redacted] की बैंक गारंटी दी जा चुकी है।

(viii) इंटरडिजिटल के अनुसार 50 से अधिक अनुज्ञप्तियों में से केवल 19 अनुज्ञप्तियाँ ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इसके

[1] *प्रतिवादीगण के अभिवचनों के अनुसार, यह प्रकटीकरण किया गया है कि पांच में से तीन वाद के पेटेंट के चीनी समकक्ष पेटेंट को विधितः अमान्य कर दिया गया है। इनमें ज़ेडएल201310157169.3 (आईएन262910 का चीनी समकक्ष), सीएन 200780031049 (आईएन 295912 का चीनी समकक्ष) और ज़ेडएल 200780004185 (आईएन 313036 का चीनी समकक्ष) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आईएन 262910 का यूरोपीय समकक्ष, जिसे ईपी 3355537 बी1 के रूप में पहचाना जाता है, को 6 जनवरी 2022 के आदेश के अंतर्गत यूके में पेटेंट न्यायालय के चांसरी न्यायपीठ द्वारा विधितः अमान्य कर दिया गया था।*

विपरीत, यू.के. में 70 अनुज्ञप्तियों का प्रकटीकरण किया गया, जिनमें से 26 को तुलनीय अनुज्ञप्ति माना गया।

15. प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों के संदर्भ में, दो विशेषज्ञ, डॉ. जॉनाथन पुटनाम और डॉ. डेविड युकरविच, प्रति डिवाइस प्रभावी दरों पर अपना विश्लेषण प्रदान करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। इंटरडिजिटल ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया, परंतु प्रतिवादीगण ने गुणागुण के आधार पर न्यायनिर्णयन करना पसंद किया, यह उपदर्शित करता है कि उनके पास समवर्ती मध्यस्थता या निष्पक्ष, उचित और गैर-विभेदकारी (*इसके बाद, 'एफआरएनडी'*) शर्तें निर्धारित करने के लिए विचारण हेतु कोई निर्देश नहीं थे। विभिन्न ईमेल पत्राचार, प्रस्ताव, प्रति-प्रस्ताव और दोनों पक्षकारगण द्वारा दिए गए औचित्य के विषय में भी विस्तृत चर्चा हुई।

16. चल रही सुनवाई के दौरान, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री साईकृष्ण ने दिनांक 12 सितंबर, 2022 को एक प्रस्तुति दी, जिसमें प्रकटीकरण किया गया कि एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप, पेरिस द्वारा दो नई बैंक गारंटियाँ जारी की गई थीं, जो एक चीनी बैंक की पिछली गारंटियों की जगह ले रही थीं। ये नई गारंटियाँ समझौता-वार्ता के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा किए गए प्रति-प्रस्ताव को सुरक्षित

करने के लिए थीं। परिणामस्वरूप, दिनांक 12 सितंबर 2022 को, इन घटनाक्रमों के उत्तर में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

> *"3. इन कार्यवाहियों में, पक्षकारगण के मध्य मुख्य प्रतिविरोधात्मक मुद्दों में से एक यह था कि समझौता-वार्ता के दौरान एक प्रति-प्रस्ताव किए जाने के बावजूद, वादी के पेटेंट की वैश्विक अनुज्ञप्ति हेतु [redacted] के उक्त प्रति-प्रस्ताव के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। भारत के अलावा, जर्मनी और यू.के. सहित अन्य क्षेत्राधिकारों में भी पक्षकारगण मुकदमेबाजी में हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों में से एक यह थी कि जर्मनी में कार्यवाही के अनुसरण में प्रतिवादीगण द्वारा यूएसडी [redacted] की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी।* ***<u>यद्यपि, वादीगण ने कई आधारों पर उक्त बैंक गारंटी पर आपत्ति जताई थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी था कि बैंक गारंटी चीन में स्थित एक बैंक द्वारा प्रस्तावित की गई थी और इसे केवल चीन में ही भुनाया जा सकता था। इस स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय द्वारा प्रो टर्न आवेदनों की गुणागुण के आधार पर सुनवाई की जा रही थी।</u>***
>
> *4. आज, सुनवाई के प्रारंभ में, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साईकृष्ण ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण - जिन्हें मोटे तौर पर 'ओप्पो' के रूप में संदर्भित किया जाता है - ने अपनी प्रमुख कंपनी ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्प लिमिटेड, सं. 18 हैबिन रोड, वुशा, चांगान डोंगगुआन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के माध्यम से, वादीगण के पक्ष में एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप, 38 एवेन्यू क्लेबर, 75116, पेरिस द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2022 को निम्नलिखित राशियों के लिए दो बैंक गारंटी दी हैं:*
>
> *i. [redacted] की राशि के लिए बैंक गारंटी [redacted];*
>
> *तथा*
>
> *ii. बैंक गारंटी [redacted] यूएसडी [redacted] की राशि हेतु।*

5. *विद्वान अधिवक्ता, श्री साईकृष्ण ने प्रस्तुत किया कि इन बैंक गारंटियों से वादीगण संतुष्ट हो जाएंगे, जिनके फ्रांस में भी कार्यालय हैं, क्योंकि वादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति इन बैंक गारंटियों द्वारा पूर्ण रूप से अधिभूत कर ली गई है। वे भारत में बेचे गए प्रतिवादीगण के उपकरणों सहित समझौता-वार्ता के दौरान वादीगण को दिए गए [redacted] के पूरे प्रति-प्रस्ताव को सुरक्षित करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत कि ये बैंक गारंटियाँ किसी भी क्षेत्राधिकार से अजेय हैं, जैसे कि यू.के., जर्मनी या भारत, जहाँ विवाद लंबित हैं।*

6. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद ने प्रस्तुत किया कि उनके निर्देशों के अनुसार, वादीगण को बैंक गारंटी नहीं मिली है और वे इस मामले में आगे के निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं। दो प्रासंगिक खंड, जो दोनों बैंक गारंटी में समान हैं, इस प्रकार हैं:

> *"दिनांक 20 मई 2022 के ऑफर में ओप्पो द्वारा दी गई राशि में आईडीटी के प्रतिकर के दावे को सुरक्षित करने के लिए। ओप्पो कुल यूएसडी [redacted] की कुल राशि तक दो बैंक गारंटी प्रदान करने का वचन देता है। एक बैंक गारंटी की राशि [redacted] यूएसडी है। इस संदर्भ में एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप, हमारा पंजीकृत पता 38 ए वेन्यू क्लेबर 75116 पेरिस फ्रांस है। इस गारंटी के अंतर्गत [redacted]*

[redacted]

की अधिकतम कुल राशि तक एक अपरिवर्तनीय बिना शर्त और मांग गारंटी जारी करें। हम आपके नाम पर खोले गए और आपके द्वारा निर्दिष्ट खाते में भुगतान करने का वचन देते हैं। आप हमसे कोई भी राशि या राशियाँ मांग सकते हैं, परंतु यह राशि आपकी मूल प्रथम मांग लिखित रूप में प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर हमसे अधिक नहीं होगी। अग्रिम कार्यवाही की दलील को अधित्यक्त कर दिया गया है।

इस गारंटी की मूल प्रति हमें वापस लौटाए जाने के साथ ही गारंटी समाप्त हो जाती है, परंतु मूल प्रति की वापसी दिनांक 30 जनवरी 2028 को होने की परवाह किए बिना। यदि हमें नीचे उल्लिखित पते पर उस तिथि तक गारंटी के अंतर्गत कोई अनुपालन मांग प्राप्त नहीं होती है:

एचएसबीसी कांटिनेंटल यूरोप जीटीआरएफ, अंतर्राष्ट्रीय गारंटी विभाग

38, एवन्यूक्लेबर, 75116 पेरिस, फ्रांस

यह गारंटी मांग गारंटी के लिए समान नियम (यूआरडीजी) 2010 संशोधन आईसीसी प्रकाशन संख्या 758 के अधीन है। आरयूटीईएस द्वारा आच्छादित न किए गए किसी भी विषय के मामले में, जर्मन विधि लागू होगी।"

7. उल्लेखनीय रूप से, उपरोक्त में से एक खंड यह प्रावधान करता है कि बैंक गारंटी मूल प्रतिवादी को वापस किए जाने पर, या दिनांक 30 जनवरी, 2028 को समाप्त हो जाएगी, चाहे मूल वापस लौटाया जाए या नहीं। दूसरे खंड में यह भी उल्लेख किया गया है कि मांग गारंटी के लिए समान नियम 2010 और जर्मन विधि लागू होगी।

8. आज प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों तथा आज न्यायालय में प्रस्तुत बैंक गारंटी की प्रतियों के अवलोकन के आलोक में, वादीगण तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता से अनुरोध है कि वे अगली तिथि तक निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्देश प्राप्त करें:

i. क्या इन बैंक गारंटियों की मूल प्रतियां वादी को दी गई हैं और यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है जिसे प्रतिवादीगण ने ये गारंटियां दी हैं तथा किस क्षेत्राधिकार या फोरम में दी गई हैं?

ii. क्या वादीगण के अधिवक्ता से इन बैंक गारंटियों की शर्तों के संबंध में निर्देश मांगे गए हैं तथा क्या ये वादीगण को स्वीकार्य हैं?

9. प्रतिवादियों द्वारा आज उपलब्ध कराई गई बैंक गारंटी की प्रतियां अभिलिखित कर ली गई हैं।"

17. उपरोक्त आदेश के अनुसार, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा मूल बैंक गारंटी की स्थिति की पुष्टि की जानी थी और उसकी प्रतियां अभिलिखित कर ली गई थीं। अगली तिथि अर्थात् दिनांक 15 सितंबर, 2022 को, दोनों पक्षकारगण के अधिवक्तागण ने निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार सुनवाई की:

*"4. **<u>सबसे पहले, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साईकृष्ण ने प्रस्तुत किया कि उक्त बैंक गारंटी की मूल प्रतियां दिनांक 13 सितंबर, 2022 को जर्मनी में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सौंप दी गई थीं। ये कुल [redacted] राशि के लिए अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी हैं।</u>***

उन्होंने न्यायालय को आश्वस्त किया कि उक्त बैंक गारंटी को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि मूल प्रतियाँ वादीगण के पास रहती है और प्रतिवादीगण को वापस नहीं की जाती। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा प्रोटर्न व्यवस्था की मांग करने का मुख्य तर्क यह था कि प्रतिवादीगण की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और प्रतिवादीगण द्वारा किए गए काउंटर ऑफर के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, अर्थात् [redacted] [redacted]। दिनांक 13 सितंबर, 2022 को प्रस्तुत की गई बैंक गारंटियों को ध्यान में रखते हुए, वह स्थिति बदल गई है। इसलिए, प्रतिवादीगण द्वारा इन बैंक गारंटियों को प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुए, प्रोटेम आवेदन का निपटान किया जाना चाहिए।

5. वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आनंद ने पुष्टि की कि मूल बैंक गारंटी, मैसर्स अर्नोल्ड रुएस की अधिवक्ता डॉ. मरीना वेहलर को सौंप दी गई है, जो जर्मनी में वादीगण का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लॉ फर्म है। यद्यपि, जहां तक बैंक गारंटी की शर्तों का संबंध है, वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता की राय पर भरोसा करते हैं, जिसे आज न्यायालय को सौंपा गया, तथा प्रस्तुत किया कि यदि न्यायालय को ऐसी बैंक गारंटी स्वीकार करनी है, तो सुरक्षा उपाय शामिल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त बैंक गारंटी इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध भारत में या बाहर

किसी अन्य कार्यवाही के कारण विफल न हो। इस प्रकार, उन्होंने सुरक्षा उपायों की एक प्रस्तावित सूची सौंपी है जिसे वादीगण न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं।

6. उत्तर में, विद्वान अधिवक्ता श्री साईकृष्ण ने प्रस्तुत किया कि उन्हें वादीगण द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों पर निर्देश लेने के लिए एक लघु स्थगन की आवश्यकता होगी।

7. इस न्यायालय ने पक्षकारगण की प्रस्तुतियाँ सुनी हैं और बैंक गारंटी तथा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का भी परिशीलन किया है। न्यायालय ने पाया कि बैंक गारंटी इस समय न्यायालय को प्रस्तुत की गई है तथा दर्शाई गई है, जबकि प्रो टर्न आवेदन में प्रस्तुतियां लगभग निष्कर्ष पर पहुंचने वाली हैं। फिर भी, बैंक गारंटी की शर्तें दिनांक 12 सितंबर, 2022 के पूर्व आदेश में निर्धारित की गई हैं। बैंक गारंटियों के परिशीलन से पता चलता है कि शर्तों में उल्लेख है कि यह राशि वादीगण से मांग प्राप्त होने पर एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप, 38 एवेन्यू क्लेबर, 75116, पेरिस द्वारा वादीगण को देय होगी।

8. यद्यपि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बैंक गारंटियां विशेष रूप से भारत में वर्तमान में न्यायनिर्णित विवादों, अर्थात् इस न्यायालय के समक्ष दो वादों का उल्लेख नहीं करती हैं, इन बैंक गारंटियों हेतु प्रति-प्रस्ताव में निहित राशियों के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करने के लिए, तथा प्रतिवादीगण द्वारा भारत में विगत में तथा भविष्य में किए गए विक्रय हेतु वादीगण को सुरक्षित करने के लिए, उक्त बैंक गारंटियां निम्नलिखित शर्तों के

अधीन होंगी, जिन पर प्रतिवादीगण द्वारा सहमति व्यक्त करना अपेक्षित होगा:

i) ***कि वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बैंक गारंटी रद्द नहीं की जाएगी;***

(ii) ***उक्त बैंक गारंटी इन कार्यवाहियों में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मौद्रिक राशि के भुगतान हेतु इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी;***

(iii) ***उक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करना एफआरएएनडी दरों या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को देय दरों का निर्धारण नहीं माना जाएगा;***

(iv) ***उक्त बैंक गारंटियां इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी और उक्त बैंक गारंटियों के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में कोई कार्यवाही, वर्तमान वादों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय की आज्ञा के बिना प्रतिवादीगण द्वारा उन्हें वापस मांगने के लिए शुरू नहीं की जाएगी;***

v) ***बैंक गारंटी को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कोई राशि देने के दायित्व के रूप में नहीं समझा जाएगा***

<u>तथा इसे केवल प्रो टर्न व्यवस्था के रूप में ही माना जाएगा।</u>

vi) <u>यदि उक्त बैंक गारंटी किसी अन्य क्षेत्राधिकार में पारित आदेशों के कारण भुना ली गई हो या समाप्त हो गई हो, जहां पक्षकारगण एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिवाद कर रहे हों, तो पक्षकारगण उस स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने सहित इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।</u>

<u>प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त शर्तों पर सहमति जताए जाने पर, वादी किसी भी अंतरिम व्यादेश या किसी अन्य सुरक्षा/रूट व्यवस्था के लिए दबाव नहीं डालेगा और वाद के विचारण में तेजी लाई जाएगी। एक वर्ष के भीतर विचारण का निपटान करने का प्रयास किया जाएगा।"</u>

18. उपरोक्त आदेश के अनुसार, प्रतिवादीगण को कुछ शर्तों पर सहमत होना था, जिसके लिए पक्षकारगण के अधिवक्तागण द्वारा अनुदेश मांगे जाने थे। दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 को प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की सुनवाई के बाद, निम्नलिखित आदेश दर्ज किया गया:

"14. उपरोक्त आदेश के अनुसार, यह देखते हुए कि बैंक गारंटी केवल तभी समाप्त होगी जब मूल प्रतियाँ वापस कर दी जाएंगी, इस विषय में स्पष्टता की आवश्यकता थी कि उक्त बैंक गारंटी किसके कब्जे में थी। अगली तिथि पर, न्यायालय को सूचित

किया गया कि उक्त बैंक गारंटी की मूल प्रतियां प्रतिवादीगण द्वारा डॉ. मरीना वेहलर को सौंप दी गई थीं, जो मैसर्स अर्नोल्ड रूस की अधिवक्ता हैं, जो जर्मनी में वादीगण का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लॉ फर्म है, और ये [redacted] *की कुल राशि के लिए अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी हैं। यह भी आश्वासन दिया गया कि जब तक मूल प्रतियां वादीगण के पास रहेंगी, तब तक उक्त बैंक गारंटी रद्द नहीं की जा सकती।*

XXX XXX XXX

17. उपरोक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों पर प्रतिवादीगण द्वारा विचार किया जाना था और न्यायालय को आज यह सूचित किया जाना था कि क्या प्रतिवादीगण पैराग्राफ 8 में उल्लिखित शर्तों से सहमत हैं, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अनुदेश प्राप्त करने के लिए स्थगन की मांग की थी।

18. आज, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री जूलियन जॉर्ज ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण उन शर्तों के लिए मोटे तौर पर सहमत हैं जो दिनांक 15 सितंबर, 2022 के पूर्व आदेश में निर्दिष्ट की गई थीं। यद्यपि, वह प्रस्ताव करती हैं कि उक्त आदेश के पैराग्राफ 8 में निहित बिंदु संख्या (iii) के स्थान पर निम्नलिखित भाषा का उपयोग किया जा सकता है:

"उक्त बैंक गारंटी की राशि को लागू एफआरएएनडी दरों का अंतिम निर्धारण नहीं माना जाएगा।"

19. यह उपांतरण वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को स्वीकार्य है।"

19. पक्षकारगण के मध्य व्यापक सहमति को देखते हुए, दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 को निम्नलिखित प्रभाव हेतु एक सहमति आदेश पारित किया गया।

"20. तदनुसार, उपरोक्त चर्चाओं और ऊपर चर्चित मामलों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारगण की सहमति से, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

i. एचएसबीसी, पेरिस द्वारा जारी बैंक गारंटी, जिनके नंबर [redacted] हैं, को अभिलिखित किया जाता है। इसकी मूल प्रतियाँ वादीगण के नियंत्रण और अभिरक्षा में रहेंगी।

ii. उक्त बैंक गारंटी, जिसकी मूल प्रतियां प्रतिवादीगण द्वारा जर्मनी में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता - डॉ. मरीना वेहलर, मैसर्स अर्नोल्ड रुएस की अधिवक्ता को सौंप दी गई हैं, वर्तमान दो वादों के लंबित रहने के दौरान वैध और नवीनीकृत रहेंगी तथा प्रतिवादीगण

द्वारा इस न्यायालय की आज्ञा के बिना रद्द नहीं की जाएंगी।

iii. उक्त बैंक गारंटी इन कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश हेतु सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मौद्रिक राशि का भुगतान, यदि कोई हो, शामिल है;

iv. उक्त बैंक गारंटी दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगी और उक्त बैंक गारंटी के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में कोई भी कार्यवाही, चाहे वह वापसी की मांग करने के लिए हो या रद्द करने, वापस लेने आदि के लिए, वर्तमान वादों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय की आज्ञा के बिना प्रतिवादीगण द्वारा शुरू नहीं की जाएगी;

v. उक्त बैंक गारंटी की राशि लागू एफआरएएनडी दरों का अंतिम निर्धारण नहीं मानी जाएगी;

vi. बैंक गारंटी को वादीगण को कोई राशि देने के लिए प्रतिवादीगण की देयता के रूप में नहीं समझा जाएगा और इसे केवल इन वादों के लंबित रहने के दौरान वादीगण को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रो टर्न व्यवस्था के रूप में माना जाएगा;

vii. यदि उक्त बैंक गारंटी किसी अन्य क्षेत्राधिकार में पारित आदेशों के कारण भुना ली गई है या उन्मोचित हो गई है, जहां पक्षकारगण एक-दूसरे के विरुद्ध

प्रतिवाद कर रहे हैं, तो पक्षकारगण उस स्तर पर उचित आदेश हेतु इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है।

viii. प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन किए जाने तथा नीचे दिए गए प्रासंगिक शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, वादीगण किसी भी अंतरिम व्यादेश या किसी अन्य सुरक्षा/अस्थायी व्यवस्था हेतु दबाव नहीं डालेंगे, तथा इससे वाद के विचारण में तेजी आएगी। एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।

21. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपरोक्त शर्तें प्रतिवादीगण पर विधिवत प्रभावी हों, एक सक्षम अधिकारी जो सभी प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत प्राधिकृत है, साथ ही एचएसबीसी इंडिया का एक अधिकारी भी है, इस न्यायालय के योग्य महानिबंधक के समक्ष इन बैंक गारंटियों को स्वीकार करने के लिए उपस्थित होगा, जिससे योग्य महानिबंधक संतुष्ट हो सकें। वादीगण का एक विधिवत प्राधिकृत सक्षम अधिकारी भी वादीगण की ओर से बयान दर्ज करने के लिए उक्त तिथि पर उपस्थित रहेगा।

22. इस संबंध में, प्रतिवादीगण के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी का शपथ-पत्र, एचएसबीसी, भारत के विधिवत प्राधिकृत/सक्षम

अधिकारी के शपथ-पत्र/प्रमाणपत्र के साथ दो सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाएगा।"

20. निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दो बैंक गारंटी इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में इंटरडिजिटल के लिए सुरक्षा के रूप में काम करेंगी, जिसमें मौद्रिक राशि का भुगतान भी शामिल है। ये बैंक गारंटी, जो कुल [redacted], की राशि है, दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होनी चाहिए और इस न्यायालय की आज्ञा के बिना इन वादों के लंबित रहने के दौरान रद्द या वापस नहीं ली जा सकती। बैंक गारंटी के संबंध में इन शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए, एचएसबीसी इंडिया के एक सक्षम अधिकारी को इस न्यायालय के योग्य महानिबंधक के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए।

21. इसके बाद, सुनवाई के दौरान मामले ने एक अनोखा मोड़ ले लिया। उक्त घटनाक्रम का सार नीचे दिया गया है:

क) जैसा कि उल्लेख किया गया है, दिनांक 9 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुसार, प्रतिवादीगण ने सभी पांच प्रतिवादीगण की ओर से क्रमशः दिनांक 1 नवंबर, 2022, 28 अक्टूबर, 2022 और 1 नवंबर, 2022 को श्री हरविंदर सिंह, श्री आदित सुनेजा और श्री गौरव सचदेवा के शपथ-पत्र दायर किए।

ख) प्रतिवादीगण ने दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 को एचएसबीसी पेरिस से पुष्टिकरण भी दायर किया। यद्यपि, न्यायालय को दिनांक 9 नवंबर, 2022 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री साईकृष्ण द्वारा सूचित किया गया कि एचएसबीसी इंडिया ने एचएसबीसी पेरिस द्वारा जारी प्रमाण पत्र और बैंक गारंटी की पुष्टि करने के लिए एक अधिकारी भेजने पर सहमति व्यक्त नहीं की।

ग) न्यायालय ने एचएसबीसी इंडिया को नोटिस जारी किया और एचएसबीसी पेरिस के अधिकारियों को वर्चुअल रूप से इसमें शामिल होने का निर्देश दिया।

22. इसके बाद एचएसबीसी इंडिया ने ***अंतर.आ. 21356/2022*** के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, जिसमें दिनांक 9 नवंबर, 2022 के आदेश में संशोधन की मांग की गई। इस आवेदन में, आवेदक- एचएसबीसी इंडिया ने दावा किया है कि यह एक स्वतंत्र इकाई है, जो एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप और एचएसबीसी बैंक पीएलसी, यूके से संरचनात्मक रूप से अलग है। आवेदक अपने स्वयं के विधिक और नियामक ढांचे के अंतर्गत काम करता है, जो बैंक गारंटी जारी करने वाली संस्थाओं से अलग है। आवेदक एचएसबीसी हांगकांग की एक शाखा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत भारत में बैंकिंग व्यवसाय संचालित करती है, जबकि एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप एचएसबीसी बैंक पीएलसी, यूके की सहायक

कंपनी है। इस प्रकार, आवेदक का प्रकथन है कि एचएसबीसी समूह के भीतर अपनी स्वतंत्रता और विशिष्ट कॉर्पोरेट संरचना को देखते हुए, उसके पास एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकरण और क्षमता का अभाव है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि न तो उसके पास एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप द्वारा जारी की गई गारंटियों के बारे में जानकारी है और न ही उसके पास उनके बारे में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। वैकल्पिक रूप से, आवेदक का सुझाव है कि वह केवल ईमेल के माध्यम से एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप से पुष्टि प्राप्त कर सकता है और फिर इस प्रकार के संचार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

23. इस प्रकार, एचएसबीसी इंडिया आवेदक-एचएसबीसी इंडिया को दिनांक 9 नवंबर, 2022 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 8 और 9 में निहित निर्देशों को वापस लेने के लिए निर्देश मांगता है। एचएसबीसी इंडिया ने योग्य महानिबंधक द्वारा जारी दिनांक 21 नवंबर, 2022 के नोटिस से उन्मोचन की भी मांग की।

<u>अंतर.आ.21356/2022 में पक्षकारगण की प्रस्तुतियाँ।</u>

24. प्रतिवादीगण की ओर से श्री साईकृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के आदेश का अनुपालन करने का वचन दिया है। इसमें वचन दिया गया है कि बैंक गारंटी रद्द नहीं की जाएगी और

एचएसबीसी, पेरिस ने प्रमाण पत्र जारी किया है। बैंक गारंटी दिनांक 30 जनवरी, 2028 तक वैध है और बैंक गारंटी की मूल प्रति इंटरडिजिटल के पास है, इसलिए बैंक गारंटी किसी भी स्थिति में रद्द नहीं की जा सकती। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इंटरडिजिटल का भय फैलाने वाला काम पूर्ण रूप से निराधार है। चूंकि, इंटरडिजिटल पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसलिए सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक या न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर हेग सम्मेलन, 1965 के अनुसार, एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप, पेरिस को विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सेवा दी जानी चाहिए।

25. एचएसबीसी इंडिया की ओर से श्री अमोल शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि एचएसबीसी इंडिया और एचएसबीसी पेरिस पूर्ण रूप से अलग-अलग संस्थाएं हैं और एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एचएसबीसी इंडिया के माध्यम से एचएसबीसी पेरिस से प्राप्त संचार से संकेत मिलता है कि एचएसबीसी पेरिस को उचित रूप से सेवा नहीं दी गई है; यदि वह कोई जानकारी प्रकट करता है तो उसे आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप, पेरिस ने बताया है कि वह फ्रांसीसी अवरोधन क़ानून से बंधा हुआ है, जो उसे तब तक कोई भी जानकारी प्रसारित करने से रोकता है जब तक कि दोनों पक्षकारगण इस प्रकार के प्रकटीकरण हेतु सहमति न दें। इस स्तर पर, प्रतिवादीगण हेतु वरिष्ठ

अधिवक्ता श्री साईकृष्ण ने कहा कि प्रतिवादीगण को एचएसबीसी कॉन्टिनेंटल यूरोप, पेरिस को अपनी सहमति देने में कोई समस्या नहीं है।

26. दूसरी ओर, श्री प्रवीण आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बैंक गारंटी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होनी चाहिए, अन्यथा उक्त बैंक गारंटी के संबंध में कोई 'गारंटी' नहीं है। योग्य महानिबंधक के समक्ष एचएसबीसी पेरिस का रुख यह है कि भारत और पेरिस के मध्य पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (*इसके बाद, एमएलएटी*) के संदर्भ में, जब तक एचएसबीसी पेरिस को भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सेवा नहीं दी जाती है, तब तक ऐसा प्रतीत नहीं होगा। यह तर्क दिया गया है कि यह रुख एचएसबीसी इंडिया के अनुचित रुख को दर्शाता है। एमएलएटी के अनुसार, अनुच्छेद 10 नियम 13 के अंतर्गत ईमेल के माध्यम से सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

27. बाद में दिनांक 14 फरवरी, 2023 को उक्त आवेदन में आदेश सुरक्षित रख लिए गए। यद्यपि, इसके बाद, प्रतिवादीगण द्वारा ***अंतर.आ. 4065/2023 व 4066/2023*** के रूप में नए आवेदन पेश किए गए, और परिणामस्वरूप, ***अंतर.आ. 21356/2022*** में निर्णय दिनांक 1 मार्च, 2023 के आदेश के अंतर्गत आरक्षित कर दिया गया। इन आवेदनों के अनुसार, प्रतिवादीगण का रुख यह है कि वे

महानिबंधक के पक्ष में आईडीबीआई इंडिया की बैंक गारंटी जारी करके इंटरडिजिटल को सुरक्षित करने के इच्छुक हैं।

28. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री साईकृष्ण ने कहा कि प्रति-प्रस्ताव का पूरा इंडिया का हिस्सा इन बैंक गारंटियों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। यद्यपि, श्री आनंद ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादीगण ने विधिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिनांक 6 नवंबर, 2022 का सहमति आदेश प्रतिवादीगण द्वारा निर्देश प्राप्त करने के बाद पारित किया गया था, और बैंक गारंटी मूल राशि का केवल 22% ही सुरक्षित करेगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादीगण कोई अनुज्ञप्ति शुल्क देने को तैयार नहीं हैं और इसलिए वे अनुज्ञप्तिधारक बनने के लिए अनिच्छुक हैं। परिणामस्वरूप, श्री आनंद ने प्रतिवाद किया कि प्रतिवादीगण को राशि जमा करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए, न कि केवल बैंक गारंटी जमा करने का ही। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 को प्रारंभिक आदेश पारित होने के बाद, वाद के विचारण हेतु आगे बढ़ने की उम्मीद थी, जिसे एक वर्ष के भीतर समाप्त करने का आशय था। यद्यपि, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश के अनुसार संतोषजनक स्तर पर बैंक गारंटी प्रदान करने में विफलता के कारण, वर्तमान में इंटरडिजिटल के पक्ष में कोई सुरक्षा विद्यमान नहीं है, और अंतरिम व्यादेश का निपटान कर दिया गया है। इसलिए, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बैंक गारंटी के संबंध में एक अंतरिम

व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जिसे अब प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, या प्रतिवादीगण को जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

29. दूसरी ओर, प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि न्यायालय द्वारा *प्रथम दृष्टया* कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, इसलिए इंटरडिजिटल को केवल बैंक गारंटी द्वारा ही उचित रूप से सुरक्षित किया जा सकता है और कोई *प्रो टेम* जमा का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

30. इस प्रकार, इन तीन आवेदनों, जिनमें से एक एचएसबीसी इंडिया द्वारा दायर किया गया है, ***अंतर.आ. 21356/2022*** तथा अन्य दो आवेदन ***अंतर.आ. 4065/2022*** और ***4066/2022*** हैं, पर एक साथ विचार किया जाता है।

<u>विश्लेषण</u>

31. प्रतिवादीगण द्वारा ***अंतर.आ. 4065/2022*** और ***4066/2022*** के अंतर्गत आवेदन ***अंतर.आ. 21356/2022*** में आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद दायर किए गए हैं। इन तीनों आवेदनों में दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के सहमति आदेशों में उपांतरण की मांग की गई है। ***कॉम्पैक एंटरप्राइजेज इंडिया (प्रा.) लिमिटेड बनाम बेअंत सिंह [2021 आईएनएससी 97], गुप्ता स्टील इंडस्ट्रीज बनाम जॉली स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, [(1996) 11 एससीसी 678] और सुवरन राजाराम बांदेकर बनाम नारायण आर बांदेकर, [(1996) 10 एससीसी 255)]*** में उच्चतम

न्यायालय के निर्णयों के बाद यह निर्धारित स्थिति है कि सहमति आदेश/डिक्री को सभी पक्षकारगण की सहमति से ही उपांतरित किया जा सकता है।

32. इंटरडिजिटल उक्त उपांतरण हेतु सहमत नहीं है। इसलिए, इन तीनों आवेदनों में आदेश पारित करते समय, न्यायालय को ब्याज को संतुलित करना होगा, तथा पक्षकारगण के आचरण को भी तौलना होगा।

33. सबसे पहले, न्यायालय ने पाया कि एचएसबीसी पेरिस और एचएसबीसी इंडिया दोनों का रुख पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। भारतीय विधियों के अंतर्गत भारत में काम करने वाले एक बैंक के रूप में, एचएसबीसी इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य था। न्यायिक समय और प्रयास की एक बड़ी राशि केवल इसलिए खर्च की गई क्योंकि एचएसबीसी इस न्यायालय को यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं था कि लगभग [redacted] हेतु बैंक गारंटी इस न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

34. प्रतिवादीगण का यह भी कर्तव्य था कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बैंकर, एचएसबीसी - चाहे पेरिस से हों या भारत से - उपस्थित हों और बैंक गारंटी को इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखें। यद्यपि, प्रतिवादीगण इस दायित्व को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। एचएसबीसी की उपस्थिति सुनिश्चित करने में प्रतिवादीगण की सहायता करना न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं थी। न्यायालय द्वारा

एचएसबीसी पेरिस से बैंक गारंटी की स्वीकृति प्रतिवादीगण के प्रस्तावों पर आधारित थी, न कि अन्यथा। न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि मूल बैंक गारंटी, जो इंटरडिजिटल के कब्जे में हो सकती है तथा जर्मन न्यायालयों या अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन है, भारत में इंटरडिजिटल के लिए सुरक्षा के रूप में काम नहीं कर सकती।

35. प्रतिवादीगण के पास भारत में लगभग 60% का पर्याप्त बाजार हिस्सा है। दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रतिवादीगण को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस न्यायालय को प्रतिवादीगण की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में किसी भी चूक पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि प्रतिवादीगण की वित्तीय स्थिति किसी भी प्रकार से विश्वास पैदा नहीं करती है, और इस बात पर काफी संदेह है कि बैंक गारंटी के माध्यम से इंटरडिजिटल के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है या नहीं।

36. इसके अलावा, दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के सहमति आदेश पारित होने के बाद, एक वर्ष के भीतर विचारण पूरा किया जाना था, जिसमें एचएसबीसी इंडिया और प्रतिवादीगण द्वारा दायर आवेदनों के कारण विलंब हुआ है।

37. नवंबर 2022 से इस पूरी अवधि के दौरान, प्रतिवादीगण ने भारत में अपने उत्पाद बेचना और लाभ कमाना जारी रखा है। भारत में घाटे का दावा करने के

बावजूद, उनकी बिक्री, जो लाखों करोड़ रुपये की है, विभिन्न अधिकारियों द्वारा जांच का कारण बनी है। आज तक, प्रतिवादीगण लगभग 10 वर्षों से इंटरडिजिटल के साथ समझौता-वार्ता कर रहे हैं। न्यायालय उन कारणों को समझने में असमर्थ है कि प्रतिवादीगण और इंटरडिजिटल समझौता क्यों नहीं कर सकते। वास्तव में, जर्मनी में म्यूनिख क्षेत्रीय न्यायालय I ने हाल ही में पाया कि प्रतिवादीगण अतिलंघन कर रहे थे और उन्हें व्यादेश[2] के अधीन किया गया है। उक्त निर्णय को पहले ही ***अंतर.आ.1122/2024*** के माध्यम से अभिलिखित किया जा चुका है।

38. इंटरडिजिटल का रुख उचित है: इसने वाद के अंतिम न्यायनिर्णयन तक सुरक्षित बैंक गारंटी के लिए सहमति दी, जो जाहिर तौर पर प्रतिवादीगण की अपनी गलतियों के कारण नहीं हो पाई। वाद पेटेंट अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर समाप्त होने वाले हैं। इसके अलावा, इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्णयों में प्रोटेम जमा की आवश्यकता की पुष्टि की है:

- ***शाओमी टेक्नोलॉजी बनाम एरिक्सन [(2015) 61 पीटीसी 282],***
- ***इंटेक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम टेलीफोनाक्टिबोलागेट एल. एम. एरिक्सन (प्रकाशन) (2023:डीएचसी:2243-डीबी)***
- ***नोकिया टेक्नोलॉजीज ओवाई बनाम ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल दूरसंचार निगम लिमिटेड (2023:डीएचसी:4465-डीबी)।***

[2] म्यूनिख क्षेत्रीय न्यायालय I का दिनांक 21 दिसंबर, 2023 का निर्णय, सं. 7O 17302/21।

39. वादीगण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि [redacted] की पूरी राशि इस न्यायालय के समक्ष जमा की जाए, क्योंकि सहमति आदेश में यही राशि सुरक्षित की जानी थी। यद्यपि, दूसरी ओर, प्रतिवादीगण ने दिनांक 1 मार्च, 2023 को न्यायालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार हैं:

> *"1. आईडीसी के पेटेंट पोर्टफोलियो की वैश्विक अनुज्ञप्ति हेतु ओप्पो का नवीनतम प्रति-प्रस्ताव दिनांक 01.12.2022 का [redacted]) है,*
>
> *2. आईडीसी के दिनांक 16.08.2022 के सूचकांक के अंतर्गत दायर दस्तावेज़ के अनुसार, ओप्पो की भारतीय बिक्री वैश्विक बिक्री का [redacted] है। इस प्रकार, देय स्वामिस्व का भारतीय विभाजन [redacted] होगा*
>
> *3. चूंकि, उपर्युक्त प्रस्ताव 5 वर्षों के लिए था, ओप्पो 5 वार्षिक किस्तों [redacted]) के माध्यम से [redacted] का भुगतान करने की पेशकश करता है,*
>
> *4. भुगतान की संरचना इस प्रकार होगीः*
>
> *क. भुगतान के **<u>पहले भाग</u>** में क्रमशः 2021, 2022 और 2023 के लिए 3 किस्तें शामिल होंगी, जो सामूहिक रूप से यूएसडी [redacted] के बराबर होंगी*

*ख. **<u>दूसरा भाग</u>** 2024 में [redacted] यूएसडी में बनेगा।*

*ग. **<u>तीसरा भाग</u>** 2025 में [redacted] यूएसडी में बनेगा।*

*5. भुगतान का पहला हिस्सा आईडीबीआई बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के माध्यम से **<u>3 सप्ताह</u>** में किया जाएगा। हमारे पास आईडीबीआई बैंक द्वारा जारी दिनांक 28.02.2023 का एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि वे ओप्पो द्वारा दायर किए जा रहे दस्तावेजों और मार्जिन मनी के भुगतान के अनुसार एक सप्ताह में बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं। ओप्पो को इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 2 सप्ताह की आवश्यकता होगी।*

6. यह बीजी ओप्पो इंडिया द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक के पक्ष में जारी की जाएगी।

7. ओप्पो चाइना ने पहले ही जर्मनी में आईडीसी को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत [redacted] राशि के लिए तीन बैंक गारंटियां प्रदान की हैं:

क. दिनांक 08.09.2022 की [redacted] राशि के लिए बैंक गारंटी सं. [redacted]

ख. दिनांक 08.09.2022 की राशि [redacted] के लिए बैंक गारंटी सं. [redacted]

ग. दिनांक 17.01.2023 की राशि [redacted] के लिए बैंक गारंटी सं. [redacted] /

इसलिए, ओप्पो ने पहले ही [redacted] राशि के लिए बीजी प्रदान कर दिया है जो ***ओप्पो का प्रति-प्रस्ताव*** *(दिनांक 01.12.2022 का ऑफर) था।*

8. दोहरे भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए, हम अनुरोध करते हैं कि न्यायालय आईडीसी को बैंक गारंटी संख्या [redacted] दिनांक 17.01.2023 की राशि [redacted] के लिए बीजी वापस करने का निर्देश दे ताकि ओप्पो उपर्युक्त भारतीय राशि को मुजरा कर सके और शेष राशि के लिए बीजी को पुनः जारी कर सके।"

40. जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, [redacted] की प्रारंभिक बैंक गारंटी अब जर्मनी में इंटरडिजिटल को [redacted] द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है। यद्यपि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह दिनांक 1 दिसंबर, 2022 को [redacted] हेतु प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए प्रति-प्रस्ताव पर आधारित है।

41. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की वैश्विक बिक्री में भारत का हिस्सा 23 से 25% के बीच है। प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार, वे विभिन्न किस्तों में [redacted] की राशि का भुगतान

करने के लिए तैयार हैं। इंटरडिजिटल ने जिस प्रारंभिक बैंक गारंटी को सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया था, वह लगभग [redacted]. के लिए थी। उक्त बैंक गारंटी को अब जर्मनी में [redacted] के लिए बैंक गारंटी से बदल दिया गया है। इस स्थिति के बावजूद, जर्मनी में म्यूनिख न्यायालय I ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध व्यादेश जारी किया है, जिसमें उन्हें अनिच्छुक अनुज्ञप्तिधारी माना गया है। म्यूनिख न्यायालय I की प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

> *161 **वादीगण के प्रस्तावों पर प्रतिवादीगण की प्रतिक्रिया का अभाव या विलंबित प्रतिक्रिया से पता चलता है कि प्रतिवादीगण वास्तव में सद्भावनापूर्वक अनुज्ञप्ति समझौता-वार्ता में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। यह और भी सच है क्योंकि दिनांक 8 फरवरी, 2021 को प्रतिवादीगण के पहले काउन्टर-ऑफर में, अपने हिस्से के लिए, बिल्कुल वही कमियाँ हैं जिनकी प्रतिवादीगण ने वादीगण के प्रस्तावों में आलोचना की है, अर्थात् प्रस्तावित अनुज्ञप्ति शर्तों के विस्तृत स्पष्टीकरण का अभाव (देखें प्रदर्शी एआर-केएआर 35)। तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण ने इस गैर-सूचनात्मक प्रति-प्रस्ताव के साथ दिनांक 8 फरवरी, 2021 तक प्रतीक्षा की या स्वीकार किया, यह दर्शाता है कि वे अनुज्ञप्ति देने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे दोहरे मापदंड अपनाते हैं।***
>
> ***162 इसके अलावा, प्रतिवादीगण स्वयं का विरोधाभास करते हैं जब वे दावा करते हैं कि केवल दिनांक 21.12.2021 के छठे***

<u>प्रस्ताव का ही उत्तर दिया जा सकता है, परंतु उन्होंने पहले ही दिनांक 08.02.2021 को एक प्रारंभिक प्रति-प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।</u>

XXX XXX XXX

163 .....

इसके अलावा, प्रतिवादीगण ने न्यायालयी कार्यवाही में पहली बार शिकायत की (दिनांक 05.06.2022 का कथन, पैरा 31) कि वादी के अनुज्ञप्ति प्रस्तावों में कोई समायोजन खंड नहीं था। उन्होंने न्यायालय के समक्ष इस विषय में शिकायत नहीं की। यह आचरण यह भी दर्शाता है कि प्रतिवादी का आचरण पूर्ण रूप से रणनीति से प्रेरित था और अनुज्ञप्ति हेतु कोई वास्तविक आशय नहीं था।

164 दिनांक 2 मार्च, 2023 को मौखिक सुनवाई में चैंबर ने प्रतिवादीगण को यह भी बताया कि तथ्यात्मक और विधिक स्थिति के वर्तमान आकलन के अनुसार, एफआरएएनडी आपत्ति सफल नहीं है और इस आकलन के लिए विस्तृत कारण बताए। फिर भी, प्रतिवादीगण ने बाद में कोई और बेहतर प्रति-प्रस्ताव नहीं दिया। यह भी अनुज्ञप्ति हेतु उनकी इच्छा के अभाव का प्रमाण है।

XXX XXX XXX

166 वर्तमान मामले में प्रतिवादीगण ने प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार पेटेंट अतिलंघनकर्ता निरंतर निपटान अनुज्ञप्ति समझौतों की मांग करते हुए व्यावहारिक रूप

से टाल-मटोल करते हैं और साथ ही अनुज्ञप्ति देने की अपनी अनिच्छा को छिपाने का प्रयास करते हैं।

XXX XXX XXX

168 प्रतिवादी के अन्य आचरण के साथ, चैंबर को विश्वास है कि निपटान अनुज्ञप्ति समझौतों की मांग समझौता-वार्ता करने की ईमानदार इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है, परंतु यह समझौता-वार्ता की प्रक्रिया को कमजोर करने का एक साधन मात्र है। एक ओर, सभी - यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक - संविदाओं के प्रकटीकरण की मांग की जाती है:

"फिर भी, प्रतिवादीगण ने सभी संविदाओं को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है, जिससे वे स्वयं को "चेरी-पिकिंग(प्रमाण या गलतियां छिपाने)" के आरोप के घेरे में न लाएं, किंतु - अन्य क्षेत्राधिकारों में वादी की स्थिति के अनुरूप - प्रतिस्पर्धियों को दी गई शर्तों का निर्धारण करने के लिए बड़ी संख्या में तुलनात्मक संविदाओं का विश्लेषण करें"।

42. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय की राय में, प्रतिवादीगण की स्थिति दिनांक 6 अक्टूबर 2022 के सहमति आदेश में दी गई स्थिति से बेहतर नहीं हो सकती। उक्त आदेश के अनुसार *प्रो टेम* भुगतान के लिए आवेदन का सहमति से निपटान किया गया था, जिस पर अब प्रतिवादीगण द्वारा उचित बैंक गारंटी प्रस्तुत न करने के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पुनःविचार किया जा रहा है। हाल ही में

नोकिया टेक्नोलॉजीज ओ.वाई. (पूर्वोक्त) में विद्वान खंड पीठ ने प्रोटेम भुगतान पर निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "....
>
> *53. इस न्यायालय ने इंटेक्स बनाम एरिक्सन (पूर्वोक्त) मामले में पेटेंट वादों को नियंत्रित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम, 2022 पर निर्भरता रखते हुए प्रोटेम सुरक्षा की अवधारणा को मान्यता दी है और अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों के पास सुनवाई की पहली तिथि को भी जमा आदेश पारित करने की शक्ति है, यदि तथ्य इसकी मांग करते हैं।*
>
> *54. इस न्यायालय का मानना है कि मानक आवश्यक पेटेंट धारक के लिए विदेशी क्षेत्राधिकारों/अन्य क्षेत्राधिकारों में कोई प्रोटेम आदेश प्राप्त करना आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि अन्यत्र कार्यवाही भारत की तुलना में काफी तेज है। उदाहरण के लिए, जर्मनी में नोकिया ने अंतिम राहत के लिए दबाव डाला था और कम समय में कई मामलों में अंतिम निर्णय प्राप्त किया था।*
>
> *55. भारत में विचारण और अंतिम दलीलों में समय लगता है। इंटेक्स बनाम एरिक्सन (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने इस वास्तविकता को पहचाना है और इसका कारण कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बताया है। वास्तव में, इंटेक्स बनाम एरिक्सन (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने विदेशी कानून और भारतीय वास्तविकताओं पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया है*

कि मानक आवश्यक पेटेंट धारक वाद के अंतिम निपटान तक उपायहीन नहीं है।

...

58. परिणामस्वरूप, पक्षकारगण के मध्य समानता को संतुलित करने के लिए, यदि तथ्य ऐसा करने की मांग करते हैं, तो इस न्यायालय के पास गुणागुण की विस्तृत जांच किए बिना एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रो-टेम आदेश पारित करने की शक्ति है। न्यायालय के अनुसार, यह दृष्टिकोण एक आधुनिक और निष्पक्ष पेटेंट प्रणाली को बढ़ावा देता है, सरलता, रचनात्मकता और बौद्धिक गतिविधि को प्रोत्साहित करता है और साथ ही ज्ञान अंतरण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रो-टेम सुरक्षा/जमा आदेश के साथ-साथ अंतरिम आदेश की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेगी।

.....

<u>101. इसके अलावा, हालांकि जर्मन न्यायालयों ने बैंक गारंटी की पर्याप्तता या यथायोग्यता का स्पष्ट रूप से आकलन नहीं किया है, फिर भी पूर्व बैंक गारंटी की अपर्याप्तता इस तथ्य से स्पष्ट है कि बैंक गारंटी प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, जर्मन न्यायालय ने ओप्पो को एक अनिच्छुक अनुज्ञप्तिधारी पाया है और उस देश में अपने उपकरणों के विनिर्माण और बिक्री को स्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया है।</u>

102. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जर्मन न्यायालय के आदेश के अनुसार, ओप्पो ने नोकिया के मानक आवश्यक पेटेंट हेतु अनुज्ञप्ति लेने के बजाय जर्मन बाजार में अपने परिचालन को निलंबित करने का विकल्प चुना है। परिणामस्वरुप, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ओप्पो एक अनिच्छुक अनुज्ञप्तिधारी है।"

43. उपरोक्त तथ्यों और दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के सहमति आदेश द्वारा सुरक्षित की जाने वाली राशि और प्रतिवादीगण की वित्तीय स्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि, पक्षकारगण के मध्य इक्विटी को संतुलित करने के लिए, प्रतिवादीगण को [redacted] की राशि हेतु इंटरडिजिटल को सुरक्षित करना आवश्यक है। [redacted] की कुल राशि लगभग [redacted] दर्शाती है, जो जर्मन न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नवीनतम बैंक गारंटी की राशि है। यह अनुपात भारत को जिम्मेदार ठहराए गए वैश्विक बिक्री के प्रतिवादीगण के अनुमानित हिस्से के साथ भी मेल खाता है। तदनुसार, इसे निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:

क) प्रतिवादीगण वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए सभी पूर्व बिक्री को पूरा करते हुए [redacted] की राशि तीन महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय के योग्य महानिबंधक के पास जमा

करेंगे। उक्त राशि को ऑटो-नवीनीकरण मोड पर ब्याज-असर वाली सावधि जमा में रखा जाएगा।

ख) अब इन वादों के विचारण 2024 में ही पूरे हो जाएंगे। यदि किसी कारणवश दिसंबर 2024 तक विचारण पूर्ण नहीं हो पाता, तो प्रतिवादीगण को दिनांक 31 मार्च 2025 तक योग्य महानिबंधक के पास [redacted] की अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी।

ग) राशि जमा न कराने पर इंटरडिजिटल को न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा भारत में किसी भी अन्य उपकरण की बिक्री पर रोक लगाने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

44. उपरोक्त आवेदनों का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

45. इन मामलों में हुआ पर्याप्त विलंब और प्रतिवादीगण के आचरण के कारण, प्रतिवादीगण पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जो एक सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को देय होगा।

<u>अंतर.आ.11485/2022 (गोपनीयता क्लब की मांग करते हुए) सि.वा. (वाणि.) में-692/2021 अंतर.आ.11484/2022 (गोपनीयता क्लब की मांग करते हुए) सि.वा. (वाणि.) में-707/2021</u>

46. ये प्रतिवादीगण द्वारा दायर आवेदन हैं, जिनमें इंटरडिजिटल और प्रतिवादीगण के मध्य समझौतों सहित गोपनीय जानकारी के आदान-प्रदान हेतु एक गोपनीयता क्लब के गठन की मांग की गई है।

47. गोपनीयता क्लब के गठन पर दोनों पक्षकारगण ने अपनी प्रस्तुतियाँ पेश की हैं। इंटरडिजिटल के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, चार विकल्प हैं, जो इसके लिए स्वीकार्य हैं:

i) वर्तमान मामलों में पारित दिनांक 16 अगस्त, 2022 के आदेश के अनुसार एक अस्थायी क्लब जहां बाहरी विशेषज्ञ, अधिवक्तागण और विदेशी अधिवक्तागण को आज्ञा दी गई है;

ii) गोपनीयता क्लब में केवल पक्षकारगण के अटॉर्नी ही शामिल होने चाहिए और यदि पक्षकारगण के कर्मचारी व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाना है, तो वे ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए जो अनुज्ञापन समझौता-वार्ता से संबंधित हों;

iii) यह मॉडल लावा बनाम एरिक्सन मुकदमेबाजी में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, जहां स्वामिस्व को छोड़कर, अन्य सभी विवरण हटा दिए गए थे;

iv) यू.के. उच्च न्यायालय (पेटेंट न्यायालय) द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2023 को ***'इंटरडिजिटल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बनाम वनप्लस टेक्नोलॉजी'***

[दावा सं.: एचपी-2021- 000047] नामक मामले में एक आदेश पारित किया गया था। यह आदेश उन्हीं पक्षकारगण के मध्य मुकदमेबाजी में जारी किया गया था, जहाँ अनुज्ञप्ति समझौतों के सारांश प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, समझौता-वार्ता में शामिल मुकदमेबाजी करने वाले व्यक्ति पर दो वर्ष का व्यापार-प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे उन्हें उन पक्षकारगण के साथ अनुज्ञापन गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया गया, जिनके समझौतों का गोपनीयता क्लब की कार्यवाही के दौरान प्रकटीकरण किया गया था।

48. जहाँ तक श्री साईकृष्णा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोपनीयता क्लब की स्थापना का संबंध हैं, उनका प्रस्ताव है कि यू.के. मॉडल को अपनाया जा सकता है। यद्यपि, केवल सारांश प्रस्तुत करने के बजाय, क्लब के सदस्यों को वास्तविक समझौतों का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। वह ***सि.वा. (वाणि.) 581/2019*** में ***'नोकिया टेक्नोलॉजी बनाम लेनोवो ग्रुप लिमिटेड'*** शीर्षक से एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए इसी प्रकार के निष्कर्षों का संदर्भ देते हैं, जहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। श्री साईकृष्ण, विद्वान अधिवक्ता, ने टिपण्णी की कि यूके में, शुरू में, दो वर्ष के प्रतिबंध के अंतर्गत प्रतिवादीगण के कर्मचारियों के साथ केवल सारांश साझा किए गए थे, यदि आवश्यक हो तो बाद के चरण में पूर्ण समझौतों का प्रकटीकरण

करने की संभावना को विवृत छोड़ दिया। उनका मुवक्किल इस दृष्टिकोण से सहमत है।

<u>विश्लेषण</u>

49. विरोधात्मक मुकदमेबाजी में मूल नियम यह है कि सभी दस्तावेजों और अभिवचनों का पक्षकारगण के मध्य आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। यद्यपि, यह नियम कुछ प्रकार के मुकदमों में जानकारी की संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति के कारण कमजोर हो जाता है। कोई यह सवाल उठा सकता है कि मुकदमे में पक्षकारगण के मध्य क्या गोपनीय रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापार और वाणिज्य में बढ़ती जटिलताओं के साथ, गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए तंत्र की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है।

50. ऐसी कई स्थितियाँ हैं जिनमें गोपनीयता क्लबों के गठन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

क) जब कोई कर्मचारी किसी संगठन में काम करता है, तो उसे कई संवेदनशील/गोपनीय संसर्गी की जानकारी हो सकती है। ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिस्पर्धी या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ सकता है, जहाँ गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित कोई आरोप हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, नया नियोक्ता और पुराना कर्मचारी दोनों नहीं चाहेंगे

कि उनकी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी सभी के साथ साझा की जाए। इसलिए, गोपनीयता क्लब की आवश्यकता है।

ख) व्यापार रहस्यों के संदर्भ में, ऐसे क्लबों का गठन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाना आवश्यक है कि मुकदमे में पक्षकारगण रहे संगठनों/संस्थाओं के भीतर भी सूचना का स्वतंत्र रूप से प्रसार न हो, परंतु वह केवल कुछ प्रासंगिक व्यक्तियों तक ही सीमित रहे।

ग) आईपी अनुज्ञापन के संदर्भ में, एसईपी के स्वामी/धारक अक्सर अपनी पेटेंट तकनीकों को कई प्रकार की संस्थाओं और कंपनियों को अनुज्ञप्ति देते हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धी भी शामिल हैं। इन संस्थाओं के बीच आम कड़ी एसईपी स्वामी/धारक के साथ उनका अनुज्ञापन समझौता है। किसी मार्केट प्लेयर और एसईपी स्वामी/धारक के बीच मुकदमेबाजी में, तीसरे पक्षकार के समझौतों का प्रकटीकरण करना - खास तौर पर किसी प्रतिस्पर्धी को - ऐसे तीसरे पक्षकारगण के प्रतिस्पर्धी लाभ को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा, ऐसे तीसरे पक्षकारगण के हितों पर काफी असर पड़ सकता है, और उनकी सहमति के बिना, एसईपी स्वामी/धारक द्वारा निष्पादित समझौतों के अंतर्गत जानकारी का प्रकटीकरण प्रतिबंधित हो सकता है। कुछ क्षेत्राधिकारों में, ऐसे समझौतों का प्रकटीकरण करने के लिए तीसरे पक्षकार की सहमति या अनापत्ति

की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीसरे पक्षकारगण से संबंधित दस्तावेज और जानकारी गोपनीय रहें और सार्वजनिक न हों, इस प्रकार तीसरे पक्षकारगण के हितों की संरक्षा हेतु, गोपनीयता क्लब की स्थापना का सहारा लिया जाता है।

घ) पक्षकारगण द्वारा प्रयोग की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रियाओं से जुड़े पेटेंट मामलों में गोपनीयता क्लब की स्थापना करना आवश्यक है। ऐसी आवश्यकता न केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वादी की प्रक्रियाओं से समझौता किया जा सकता है, परंतु प्रतिवादी की प्रक्रियाओं के कारण भी। ऐसे मामलों में, यह देखा गया है कि प्रतिवादीगण अपनी प्रक्रिया, कच्चे माल के उपयोग, विनिर्माण की स्थिति आदि पर गोपनीयता का दावा भी करते हैं, जो निरीक्षण के अधीन हो सकते हैं, और इस प्रकार उनके हित भी खतरे में पड़ सकते हैं। इस प्रकार के गोपनीयता क्लब की स्थापना से यह सुनिश्चित होता है कि मुकदमे में शामिल दोनों पक्षकारगण की संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहेगी।

51. एसईपी के संदर्भ में ऐसे गोपनीयता क्लबों में आदर्श रूप से केवल बाह्य अधिवक्ता और बाह्य विशेषज्ञ ही शामिल होने चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से वे लोग शामिल नहीं होने चाहिए, जो अपने नियोक्ताओं/संस्थाओं, जिनका वे प्रतिनिधित्व

करते हैं, के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए समझौता-वार्ता के दौरान जानकारी का लाभ उठा सकते हैं जिससे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल की जा सके। गोपनीयता क्लब के गठन का संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा यदि उन पक्षकारगण के मध्य समझौता-वार्ता में लगे कर्मचारियों को, जिनके समझौतों का प्रकटीकरण किया गया है, उन समझौतों को देखने और भविष्य की समझौता-वार्ता में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए जानकारी का उपयोग करने की आज्ञा दी जाती है, चाहे उसी पक्षकार के साथ हो या अन्य असंबद्ध पक्षों के साथ। इससे समझौता-वार्ता के दौरान जानबूझकर या अनजाने में ऐसी जानकारी तीसरे पक्षकार को भी बताई जा सकती है।

एसईपी के संदर्भ में गोपनीयता क्लब का गठन करते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

52. ऐसे मामलों में, गोपनीयता क्लब में केवल उन पक्षकारगण के कर्मचारी या विशेषज्ञ शामिल होते हैं और कोई तीसरा पक्षकार शामिल नहीं होता। सूचना का प्रसार केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होता है।

53. एसईपी के संदर्भ में जब वैश्विक समझौतों का प्रकटीकरण करने की मांग की जाती है, तो तंत्र ऐसा होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लब के सदस्य या तो दोनों पक्षकारगण के अधिवक्तागण हों या बाह्य विशेषज्ञ। यदि दोनों

कंपनियों के आंतरिक अधिकारियों को क्लब का सदस्य बनाया जाना है, तो यह इस प्रकार से होना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो कि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार से सूचना की अखंडता से समझौता न करें या तीसरे पक्षकार की समझौता-वार्ता हेतु इसका उपयोग न करें। इस प्रकार, ऐसे इन-हाउस कर्मचारियों पर कुछ उचित शर्तें लागू करनी होंगी, जो क्लब का हिस्सा हो सकते हैं। यह न केवल दोनों पक्षकारगण के हित में होगा, परंतु उन तीसरे पक्षकारगण हेतु भी होगा जो न्यायालय के समक्ष नहीं हैं और जिनकी जानकारी वर्तमान मुकदमेबाजी में पक्षकारगण के मध्य आदान-प्रदान की जा रही है।

54. गोपनीयता क्लबों के गठन हेतु विभिन्न प्रोटोकॉल हैं, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा पालन किया गया है। जहाँ तक दिल्ली उच्च न्यायालय का संबंध है, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 के अध्याय VII नियम 17 और उपाबंध एफ गोपनीयता क्लब के गठन के प्रोटोकॉल को निर्धारित करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 के अध्याय VII नियम 17 में निम्नलिखित लिखा है:

> *"17. गोपनीयता क्लब - जब किसी वाणिज्यिक वाद में पक्षकारगण ऐसे दस्तावेजों/सूचनाओं पर भरोसा करना चाहते हैं जो वाणिज्यिक या अन्यथा गोपनीय प्रकृति के हैं, तो न्यायालय गोपनीयता क्लब का गठन कर सकता है जिससे ऐसे*

दस्तावेजों/सूचनाओं तक सीमित पहुंच को अनुज्ञात किया जा सके। ऐसा करने में, न्यायालय ऐसे क्लब की स्थापना और संचालन हेतु एक संरचना/प्रोटोकॉल स्थापित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। गोपनीयता क्लब की एक उदाहरणात्मक संरचना/प्रोटोकॉल उपाबंध एफ में दी गई है। न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर क्लब की संरचना/प्रोटोकॉल को उचित रूप से ढाल सकता है।"

दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 का उपाबंध एफ

"उपाबंध एफ

अध्याय VII नियम 17

गोपनीयता क्लब का प्रोटोकॉल

गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं से निपटने में गोपनीयता क्लब प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए

किसी आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय निम्नलिखित तरीके से गोपनीयता क्लब के गठन को अनुज्ञात कर सकता है:-

क) न्यायालय द्वारा गोपनीय माने जाने वाले सभी दस्तावेजों/सूचनाओं ("गोपनीय दस्तावेज़/सूचना") को सीलबंद लिफाफे में महानिबंधक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की आज्ञा होगी।

ख) प्रत्येक पक्षकार अधिकतम तीन अधिवक्तागण को नामनिर्देशित करेगा, जो किसी भी पक्षकार के इन-हाउस वकील नहीं हैं और न ही रहे हैं, तथा अधिकतम दो बाह्य विशेषज्ञ, जो

गोपनीयता क्लब का गठन करेंगे। गोपनीयता क्लब के सदस्य ही गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं का निरीक्षण करने के हकदार होंगे।

ग) गोपनीयता क्लब के सदस्यों को गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं का निरीक्षण महानिबंधक के समक्ष करना अनुज्ञात होगा, बिना उनकी प्रतियां बनाए। निरीक्षण के बाद, गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं को पुनः सील करके महानिबंधक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

घ) गोपनीयता क्लब के सदस्य गोपनीय दस्तावेजों/सूचना की प्रतियां नहीं बनाएंगे, या किसी भी प्रकार से या किसी भी माध्यम से, या किसी भी अन्य विधिक कार्यवाही में इसकी सामग्री का प्रकटीकरण या प्रकाशन नहीं करेंगे और इस संबंध में न्यायालय के आदेशों से बाध्य होंगे।

ङ) गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं के संबंध में साक्ष्य अभिलिखित करने के दौरान केवल गोपनीयता क्लब के सदस्यों का ही उपस्थित रहना अनुज्ञात होगा।

च) न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, जब गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं को देखा जा रहा हो या उनकी विषय-वस्तु पर चर्चा की जा रही हो, तो केवल गोपनीयता क्लब के सदस्यों को ही उपस्थित रहने की आज्ञा होगी।

छ) न्यायालय अपने विवेकानुसार तथा उचित मामले में गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियां विपक्षी पक्षकार को देने की आज्ञा दे सकता है, यदि ऐसा संपादन संभव हो, अन्यथा नहीं।

ज) गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं से प्राप्त गोपनीय जानकारी वाले शपथ-पत्र या साक्षी के बयान के माध्यम से कोई भी साक्ष्य महानिबंधक के पास सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और केवल गोपनीयता क्लब के सदस्यों के लिए ही सुलभ होगा। यद्यपि, शपथ-पत्र के माध्यम से ऐसा साक्ष्य दायर करने वाला पक्षकार, यदि न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो गोपनीय जानकारी को संपादित करने के बाद, विपक्षी पक्षकार को ऐसे शपथ-पत्र की एक प्रति देगा, यदि ऐसा संपादन संभव है और अन्यथा नहीं।

झ) मामले के निपटान के बाद गोपनीय दस्तावेज/सूचना निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं होगी, सिवाय उस पक्षकार के जो इसे प्रस्तुत करे।

ञ) ऐसे मामलों में जहां गोपनीयता क्लब का गठन किया गया है या दस्तावेजों को गोपनीय रखने का निर्देश दिया गया है, न्यायालय अभिवचन दायर करने हेतु समय विस्तार पर विचार कर सकता है। यद्यपि, यह लागू प्रावधानों द्वारा निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर होगा।"

55. जैसा कि ऊपर दिए गए प्रावधानों से देखा जा सकता है, वे इन-हाउस कर्मचारियों या वकीलों की नियुक्ति पर विचार नहीं करते हैं, और इसका कारण जानना बहुत दूर की बात नहीं है। इन-हाउस कर्मचारी, जिनमें विधिक प्रबंधक और सामान्य अधिवक्तागण शामिल हैं, अपने नियोक्ताओं के साथ अपनी संविदाओं से बाध्य होते हैं, जो कंपनी के भीतर विशिष्ट परिचालन भूमिकाओं को निर्धारित कर सकते हैं। गोपनीयता क्लब की स्थापना करते समय न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों को प्रभावी रूप से उपांतरित या संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, सामान्य प्रक्रिया किसी भी इन-हाउस कर्मचारी को बाहर करना है। इसके अलावा, भले ही इन-हाउस वकीलों को शामिल किया गया हो, उनके पास न्यायालय के आदेशों को कैसे लागू किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में एक निश्चित माप की समझ होती है। यद्यपि, ऐसी अपेक्षा उन कर्मचारियों से नहीं की जा सकती जो अनुज्ञप्ति हेतु वाणिज्यिक अनुज्ञापन समझौता-वार्ता में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इस प्रकार, समझौता-वार्ताओं में सक्रिय रूप से शामिल इन-हाउस कर्मचारियों को गोपनीय जानकारी और तीसरे पक्षकार की जानकारी की अखंडता बनाए रखने के लिए गोपनीयता क्लब के गठन से आदर्श रूप से बाहर रखा जाना चाहिए।

56. वर्तमान मामले में, न्यायालय ने प्रारंभ में दिनांक 16 अगस्त, 2022 के आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक गोपनीयता क्लब का गठन किया था:

सदस्यों की श्रेणी	**वादीगण**	**प्रतिवादीगण**
बाह्य विशेषज्ञ	डॉ. जोनाथन पुटनम	1. श्री डेविड यूर्कविश 2. श्री मैथ्यू सेप।
अधिवक्तागण	1. श्री. प्रवीण आनंद 2. श्री वैशाली मित्तल 3. श्री सिद्धांत चमोला	3. श्री साइकृष्ण अनंद राजगोपाल 4. सुश्री जूलियन जॉर्ज 5. सुश्री अनु पारचा
विदेशी अधिवक्तागण	1. श्री कॉर्डुला शूमाकर 2. श्री टिम स्मेन्टकोव्स्की	1. श्री टोबियास जे. हेसल 2. सुश्री फ्रैंका पोलवोलबेक

57. यद्यपि, इसके बाद, प्रतिवादीगण ने गोपनीयता क्लब में विभिन्न सदस्यों को शामिल करने की मांग करते हुए ये दो आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इंटरडिजिटल और प्रतिवादीगण द्वारा सुझाए गए आंतरिक प्रतिनिधियों के नाम इस प्रकार हैं:

क्रमांक	***इंटरडिजिटल के आंतरिक प्रतिनिधि***	***प्रतिवादीगण के आंतरिक प्रतिनिधि***
1.	श्री स्कॉट क्लार्क, सहयुक्त महाअधिवक्ता, मुकदमेबाजी	श्री जैक पेंग
2.	श्री जिम हारलान, वरिष्ठ निदेशक,	श्री योरी शियाओ

	अनुज्ञापन	

58. वर्तमान मामले में, तथ्यों और प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में अभिलिखित किए गए अनुसार, इंटरडिजिटल और प्रतिवादीगण दोनों की ओर से बड़ी संख्या में तीसरे पक्षकार के अनुज्ञप्ति और समझौतों का पक्षकारगण के मध्य आदान-प्रदान होने की संभावना है। ऐसे तीसरे पक्षकारगण के हितों से इंटरडिजिटल या प्रतिवादीगण द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे गोपनीयता क्लब की चर्चाओं या कार्यवाही में शामिल नहीं हैं। जिन शर्तों के अंतर्गत ऐसे तीसरे पक्षकारगण इंटरडिजिटल या प्रतिवादीगण के साथ अनुज्ञप्तियों में प्रवेश कर सकते हैं, वे तथ्यों के लिए बहुत विशिष्ट हो सकते हैं या इस प्रकार से अनुकूलित हो सकते हैं जो समझौते के समय प्रचलित उद्देश्य और परिस्थितियों के अनुकूल हों। इसके अलावा, समझौते इन तीसरे पक्षकारगण से संबंधित संवेदनशील व्यावसायिक-संबंधित जानकारी प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा, समझौतों से व्यापार से संबंधित संवेदनशील बातें सामने आ सकती हैं। इसलिए, गोपनीयता क्लब की स्थापना हेतु दोनों पक्षकारगण द्वारा सुझाए गए सदस्यों की समीक्षा करने और इस मामले के संदर्भ में ऐसे क्लब के उद्देश्य पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित गोपनीयता क्लब का गठन किया जाता है:

क्रमांक	***इंटरडिजिटल के प्रतिनिधि***	***प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि***

आंतरिक प्रतिनिधि		
1.	श्री. स्कॉट क्लार्क, सहयुक्त महा अधिवक्ता, मुकदमेबाजी	श्री जैक पेंग
2.	श्री जिम हारलान, वरिष्ठ निदेशक, अनुज्ञापन	श्री योरी शियाओ
अधिवक्तागण		
3.	श्री प्रवीण आनंद	श्री साइकृष्ण राजगोपाल
4.	श्री सिद्धांत चमोला	सुश्री जूलियन जॉर्ज

59. यदि पक्षकारगण उपरोक्त गोपनीयता क्लब में और सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं, तो वे इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

60. उपरोक्त गठित गोपनीयता क्लब का अधिदेश निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार होगा:

- दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमों का अध्याय VII, नियम 17, 2018
- दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 का उपाबंध-एफ।
- दिल्ली उच्च न्यायालय बौद्धिक संपदा अधिकार डिवीज़न नियम, 2022 का नियम 19
- पेटेंट वादों को नियंत्रित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 11, 2022

61. क्लब के सदस्यों पर लगाई जाने वाली शर्तें और प्रकट की जाने वाली जानकारी का निपटान ***अंतर.आ. 11485/2022*** और ***11484/2022*** में किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2024 को सूची बनाई जाएगी।

62. ***सि.वा. (वाणि.)-692/2021 और सि.वा. (वाणि.)-707/2021*** में मुद्दों को तैयार करने और सभी लंबित आवेदनों पर दिनांक 23 फरवरी, 2024 को सूचीगत करने की तिथि पहले से ही निर्धारित है।

प्रथिबा एम. सिंह
न्यायाधीश

21 फरवरी, 2024/*डीके/डीएन*
[21 फरवरी, 2024 के आदेश के अनुसार संपादित संस्करण]

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*